केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
Central Sericultural Research & Training Institute
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
CENTRAL SILK BOARD, Ministry of Textiles, Govt. of India
बहरमपुर/Berhampore – 742101, मुर्शिदाबाद जिला/Murshidabad Dist.
पश्चिम बंगाल/ West Bengal, भारत/India

दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 129वीं बैठक की कार्यवृत्त। Minutes of the 129th meeting of the Official Language Implementation Committee held on 30.12.2021.

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर [प.बं.] की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 129वीं बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को संस्थान के निदेशक महोदय, डॉ. किशोर कुमार, सी. एम. की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक - "क" में संलग्न है।

The 129th meeting of the Official Language Implementation Committee of Central Sericultural Research and Training Institute, Berhampore [W.B.] was held on 30.12.2021 under the chairmanship of the Dr. Kishor Kumar, C. M., Director of this Institute at 11.00 a.m. in the meeting room of the Institute along with a Hindi Workshop for the officials present during the meeting. The list of the members present in the meeting is appended at Annexure-A.

प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान उनके द्वारा सभी अधिकारियों व पदधारियों से राजभाषा नियमों के सम्यक अनुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तत्पश्चात, अध्यक्ष की अनुमति से संस्थान के सहायक निदेशक [राभा] द्वारा बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा प्रारंभ की गई जो निम्नवत है / At the outset, the Chairman extended warm welcome to all the members present in the meeting. During the course of discussion he made an appeal to all the officers & officials to pay a special attention upon fully compliance of the official language rules. Thereafter, item-wise agenda was taken up for discussion by the Assistant Director (OL) of this Institute which is as given below:

मद सं/Item No.1: संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 128वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि / Confirmation of minutes of the 128th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute.

समिति को यह संसूचित किया गया कि संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 128वीं बैठक की कार्यवृत्त तैयार कर सभी सदस्यों के बीच परिचालित कराए गए। परंतु किसी भी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इस दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को सहर्ष आमंत्रित किया गया कि वे पिछली बैठक पर अपनी टिप्पणी व सुझाव, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत कर सकते है। अतः कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यवृत्त को पुष्ट माना गया। It was apprised to the committee that copies of minutes of the 128th meeting of the Official Language Implementation Committee of this Institute were circulated among the members but no comments were received. The Chairman, during the course of discussion gladly invited all the members to offer their comments / suggestions, if any, on the minutes of the last meeting. Since, no comments were received from anyone of the members, minutes was treated as confirmed**.**

मद सं/Item No.2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई। Action taken on the decisions made during the last meeting.

संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ द्विभाषी में किए जाने पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पंजियों में प्रविष्टियाँ तदनुसार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, फार्म, प्रपत्र आदि भी द्विभाषी में तैयार कराकर नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही, धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित दस्तावेजों को अनिवार्य रुप से द्विभाषी में जारी करते हुए हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी

हिंदी में दिए जा रहे है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रभागीय प्रमुखों तथा अनुभागीय प्रधानों व प्रभारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने अनुभागों में राजभाषा प्रावधानों एवं केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलूर तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त तत्संबंधी आदेशों व निदेशों का पूर्णरुपेण कार्यान्वयन आगे भी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाए तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग में कोई भी उल्लघंन न होने पाए।

During the course of discussion upon making entries in all service books either in Hindi or in bilingual form, It was observed that necessary entries are being made in Hindi or bilingual form in the service books available at this institute. Further, full compliance of the Official Language Rule-11 has been ensured by preparing all standard forms, Proforma etc. in bilingual form. In addition to this, letters received in Hindi are also replied in Hindi only. The Chairman, during the course of discussion made an instruction to all the Divisional Heads/In-charges of the section of this Institute to make every possible effort for due compliance of the provisions of Official Language Hindi following the orders/instructions received from Central office, Central Silk Board, Bangalore, Department of Official Language, Ministry of Home affairs. He also added that special attention may be paid on the fact that there should not be any violation in progressive use of Official Language Policy.

चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्णय अनुपालनार्थ लिए गए / During the course of discussion following decisions were taken by the chairman for compliance:

1. धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित सभी कागजातों को द्विभाषी में अनिवार्य रुप से जारी करने के साथ ही नियम-5 का सम्यक अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाए। Documents specified under section 3(3) must be issued in Bilingual form only alongwith compliance of Rule -5 nay also be ensured. [कार्रवाईः सभी अनुभाग/केन्द्र]

2. यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान के सभी अनुभाग अपने-अपने अनुभाग में उपलब्ध सभी पंजिकाओं के शीर्ष अनिवार्य तौर पर हिंदी अनुभाग के सहयोग से द्विभाषी कर लें। It was also decided that all sections of the Institute should invariably got prepared the heads of all registers available in their respective sections in bilingual form with help of Hindi Section. [कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/ सभी अनुभाग]

3. तकनीकी आलेख, पुस्तिका, निवारिणका आदि हिंदी/द्विभाषी में प्रकाशित करने का हर संभव प्रयास किया जाए। Each & every possible efforts should be made publish all the Technical reports, Pamphlets & Brochure etc in Hindi or in bilingual form. [कार्रवाईः सभी अनुभाग]

4. संस्थान में रख-रखाव की जा रही सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ अनिवार्यतः हिंदी व द्विभाषी में किया जाए। It must be ensured that entries in all service books being maintained at this Institute are made either in Hindi or in Bilingual form.

   [कार्रवाईः स्थापना अनुभाग]

5. यह भी निर्णय लिया गया कि आगे से संस्थान के हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की प्रभागवार समीक्षा की जाए। It was also decided that comparative progress report regarding Hindi correspondence of implementation of this institute should be reviewed division-wise in future.

   [कार्रवाईः हिंदी अनुभाग]

6. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों के दौरे पर जा रहे वैज्ञानिकों/अधिकारियों व हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी कार्यान्वयन/अनुपालन संबंधी प्रगति की समीक्षा अवश्य की जाए। / Scientists/Officers and Hindi Section, visiting the sub-ordinate units of this institute must review the progressive use of Official Language Hindi of the concerned units.

[कार्रवाईः हिंदी अनुभाग व संबंधित वैज्ञानिक/अधिकारी]

7. राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोग व संबंधित विषयों पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक तिमाही के दौरान किया जाए ताकि राजभाषा प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित हो सके। A Hindi Workshop with regard to uses of Official Language Hindi or allied subjects must be organized for the officials during the each and every quarter to ensure due compliance of the provisions of Official Language.

[कार्रवाईः हिंदी अनुभाग]

8. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा आगे भी प्रस्तुत किया जाए। Comparative progress report regarding Hindi correspondence made by the nested Units of this Institute should also be placed for the review in the ensuing meeting.

[कार्रवाईः हिंदी अनुभाग]

9. संस्थान के अधिकारियों/पदधारियों के हिंदी प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर प्वाइंट अद्यतन रखते हुए शेष बचे पदधारियों को प्रशिक्षण हेतु अगले सत्र में नामित किया जाए। To maintain the Up-to-date roster point regarding Hindi Training of the Officers and Staff of this Institute and remaining officials must be nominated for the same during the ensuing session. [कार्रवाईः हिंदी अनुभाग]

10. संस्थान के सभी अधीनस्थ केन्द्रों द्वारा कम से कम 70% पत्राचार अनिवार्यता हिंदी व द्विभाषी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। All subordinates centers of this institute must ensure to transact their at least 70% correspondence either in Hindi or in diglot form. [कार्रवाईः सभी अनुभाग/केन्द्र]

मद सं/Item No.3: संस्थान के अनुभागो की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the monthly progress report regarding progressive use of Hindi of this institute:

संस्थान के विभिन्न अनुभागों की मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सभी अनुभाग द्वारा हिंदी पत्राचार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार करने के अतिरिक्त रबड़ की मुहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट, मानक फार्म व प्रपत्र आदि को द्विभाषी में तैयार कर राजभाषा नीति एवं इसके प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी को इन प्रावधानों के अनुपालन पर सम्यक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए यह सलाह दी गई कि वे अनुभागों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे नैमिक प्रकृति के पत्रादि को द्विभाषी में तैयार करा कर जारी किया जाना सुनिश्चित करें ताकि हिंदी पत्राचार की प्रतिशत में आगे और भी वृद्धि हो सके। During the course of reviewing monthly report of the different sections of this institute, it was observed that all sections are transacting their Hindi correspondence as per the target prescribed by the Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language and letters received in Hindi are replied in Hindi only. In addition to this, full compliance of the Official Language Policy has been ensured by preparing all Rubber Seals, Name-Plate, Notice-Board, and Standard Forms in bilingual form. The Chairman, during the course of discussion laid emphasis on necessity of paying special attention upon due compliance of the said provisions and advised all the sectional Heads/In-charges to get prepared their letters of routine nature in bilingual form so that there can be more enhancement in the percentage of Hindi correspondence.

[कार्रवाईः सभी संबंधित/हिंदी अनुभाग]

मद सं/Item No.4: संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा/Review of the quarterly progress report of this institute:

संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया की सभी केन्द्रों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि अधीनस्थ केन्द्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा अनिवार्य तौर पर किया जाए ताकि सभी केन्द्रों में राजभाषा प्रावधानों का पूर्णरुपेण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। While reviewing quarterly report of the nested

units of this institute, it was observed that due compliance of the section 3(3) Rule-11 of the Official Language Act has been ensured at all the sub-ordinate centres. Further, letters received in Hindi are also being replied in Hindi only. The Chairman, during the course of discussion made an instruction that quarterly progress report of each and every nested unit should invariably be reviewed so that fully compliance of the provisions of Official Language may be ensured at all the nested units of the Institute.

[कार्रवाईः सभी अधीनस्थ केन्द्र/हिंदी अनुभाग]

मद सं/Item No.5: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषयः/Any other subject with the permission of the chairman.

संघ की राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम, 2020-2021 में निहित प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), नियम-5 सहित संसदीय राजभषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली में उल्लेखित विविध मदों के पूर्णरुपेण कार्यान्वयन पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अनुभागीय प्रधानों/प्रभारियों को अपने-अपने अनुभागों में उक्त प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई। The Chairman, while making discussion upon fully implementation of the provisions contained in "Annual Programmee-2020-21" for transacting the official work of the union in Hindi, Section 3(3), Rule-5 along with various items mentioned in the questionnaire of Committee of Parliament on Official Language advised to all the sectional Heads/In-charges to take necessary steps to ensure effective compliance of the said provisions in their sections.

[कार्रवाईः सभी संबंधित/हिंदी अनुभाग]

तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की गई। / Thereafter, meeting concluded with a vote of thanks to the chairman.

[डॉ. किशोर कुमार, सी. एम.
Dr. Kishor Kumar, C. M.]
निदेशक / Director

अनुलग्नक "क"/ Annexure-A

दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 **को आयोजित संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 129 वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची/ List of members present in the 129th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 30th Dec., 2021**.

क्र.सं Sl.No.	नाम/Name	पदनाम/Designation	
1.	डॉ. किशोर कुमार, सी. एम. / Dr. Kishor Kumar, C. M	निदेशक / Director	अध्यक्ष/Chairman
2.	डॉ. वी. लक्ष्मणन / Dr. V. Lakshmanan	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
3.	डॉ. जी. श्रीनिवास / Dr. G. Srinivasa	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
4.	डॉ. ए. आर. प्रदीप / Dr. A. R. pradeep	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
5.	डॉ. डी. पंडित / Dr. D. Pandit	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
6.	डॉ. एस. सरकार / Dr. S. Sarkar	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
7.	श्री प्राणेश कुमार प्रसाद / Shri P. K. Prasad	उपनिदेशक [कंप्यू.] / DD [Comp.]	सदस्य/Member
8.	डॉ. के. सुरेश / Dr. K Suresh	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
9.	श्री खसरू आलम / Shri K. Alam	वैज्ञानिक- बी/ Sc.-B	सदस्य/Member
10.	श्री सोहन लाल साहू/ Shri S. L. Sahu	अधीक्षक [प्रशा.] / Sup. [Admn.]	सदस्य/Member
11.	श्री जी. पटेल / Shri G. Patel	स. अधी. [प्रशा.] / A. Sup. [Admn.]	सदस्य/Member
12.	श्री के. एम. फरहत हुसैन / Shri K. M. F. Hussain	स. अधी. [प्रशा.] / A. Sup. [Admn.]	सदस्य/Member
13.	श्री मंगल साहा / Shri M. Saha	व.त.स. / S.T.A.	सदस्य/Member